न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—262/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/262)

1. श्रीमती सुनिता धर्मपत्नी श्री मनोज झंवर, निवासी सुभाषगंज, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सुगनी धर्मपत्नी रामसुख
2. श्री भंवरलाल पुत्र रामसुख
3. श्री शिवराज पुत्र रामसुख
4. रामराज पुत्र रामसुख
5. हेमराज पुत्र रामसुख
6. सीता पुत्री रामसुख
7. माया पुत्री रामसुख
8. शिवलाल पुत्र उगमा
9. गमला पत्नी उगमा
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाडा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
10. श्री अनिल कुमार पुत्र बद्रीनारायण, जाति महाजन, निवासी चोकडी मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर।
11. तन्मय राठी पुत्र भगवतीप्रसाद राठी, निवासी सिविल लाईन्स, अजमेर।
12. मौहम्मद सलीम पुत्र श्री अब्दुल रशीद, जाति मुसलमान, निवासी 668, स्टेशन रोड, नसीराबाद, जिला अजमेर।
13. कलीम अहमद पुत्र मौहम्मद सईद
14. मौहम्मद आबिद पुत्र मौहम्मद नबी
    समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण घोषी मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर।
15. नासीर अहमद पुत्र अब्दुल रहीम, जाति मुसलमान, निवासी म0न0 2046, रिसालमण्ड, नसीराबाद जिला अजमेर।
16. शेर मौहम्मद पुत्र नवीबक्श, जाति मुसलमान, निवासी तैली कुम्हार मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर।
17. श्रीमती खेरूनिशा पत्नी इदुबक्श उर्फ बाबू, जाति मुसलमान, निवासी म0न0 2780 तैली कुम्हार मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर।
18. रामतेल लारेन्स पुत्र सिरिल लारेन्स, जाति ईसाई, निवासी म0न0 1160 मिशन कम्पाउण्ड, नसीराबाद जिला अजमेर।
19. मनोज झंवर पुत्र नन्दकिशोर, निवासी सुभाषगंज, नसीराबाद जिला अजमेर।
20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 44/2019

उपस्थितः—

1. श्री मौ0 इकबाल अभिभाषक अपीलांट

2. श्री नवीन गुर्जर, दीपक पारीक व सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10
3. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11
4. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 12
5. श्री पुष्पेन्द्रसिंह, भवानीसिंह, ज्ञानसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 17
6. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 20
7. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9, 13 से 16, 18, 19 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—19.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 44/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 10 के द्वारा एक राजस्व वाद वास्ते बंटवारा, उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.2019 को ही वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 44/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9, 13 से 16, 18, 19 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.6.2019 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में कभी भी नही हुई अपीलान्ट ने अपना अभिभाषक सुखदेव चौधरी को नियुक्त कर रखा था। जिनके द्वारा उपरोक्त वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया था। जिसके पश्चात् अपीलान्ट को कोई भी जानकारी अभिभाषक के द्वारा नहीं दी गई परन्तु हाल ही में जब तहसीलदार नसीराबाद के द्वारा ग्राम में आयोजित राजस्व केम्प प्रशासन गांवों के संग में उपरोक्त प्रकरण में बंटवारा करने की बात कही तो अपीलान्ट ने आपत्ति दर्ज कराई। जिस पर केम्प में कोई कार्यवाही नही की गई। जिसके पश्चात् दिनांक 21.10.2021 को अपीलान्ट ने न्यायालय से नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके दिनांक 21.10.2021 को ही नकल प्राप्त हुई। अपीलान्ट जो कि ग्रामीण परिवेश की महिला है जो उपरोक्त अपील से सम्बन्धित समस्त कागजात् एकत्रित कर अजमेर स्थित अभिभाषक के कार्यालय में दिनांक 5.12.2021 को आई और उपरोक्त अपील पर सलाह कर अपील नकल प्राप्ति व जानकारी से अन्दरमयाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुती में लगा समय सद्भाविक है। जिसे क्षमा कर अपील का निर्णय मेरिट पर किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अतः प्रस्तुत मियाद

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 25.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जरिए अधिवक्ता अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात् न्यायालय की आदेशिका के अनुसार अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा करने पर आपत्ति नहीं होना दर्ज करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया गया जबकि अपीलान्ट ने कोई भी सहमति नहीं दी थी तथा वादग्रस्त आराजीयात जिसका कि वादी वाद लाया है। उस पर अधिकांश भूमि पर वादी का कब्जा काश्त ही नहीं है और आराजी खसरा नम्बर 320 पर वादी ने उद्घोषणा खातेदारी की इस्तदुआ की, जिस बाबत् कोई भी आदेश पत्रावली पर नहीं दिया गया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को वाद पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया इन महत्वपूर्ण बिन्दूओं की अनदेखी करते हुए प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2019 पारित की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06. 2019 में विधिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से हनन् किया गया है। जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात् तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हिस्सा ही निर्णय एवं डिक्री में विलोपित कर दिया गया।

जिससे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2019 न्याय, नियम के विरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06. 2019 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में कभी भी नहीं हुई अपीलान्ट ने अपना अभिभाषक श्री सुखदेव चौधरी को नियुक्त कर रखा था। जिनके द्वारा उपरोक्त वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया था। जिसके पश्चात् अपीलान्ट को कोई भी जानकारी अभिभाषक के द्वारा नहीं दी गई परन्तु हाल ही में जब तहसीलदार नसीराबाद के द्वारा ग्राम में आयोजित राजस्व केम्प प्रशासन गांवों के संग में उपरोक्त प्रकरण में बटवारा करने की बात कही तो अपीलान्ट ने आपत्ति दर्ज कराई। जिस पर केम्प में कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके पश्चात् दिनांक 21.10.2021 को अपीलान्ट ने न्यायालय से नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके दिनांक 21.10.2021 को ही नकल प्राप्त हुई। अपीलान्ट जो कि ग्रामीण परिवेश की महिला है जो उपरोक्त अपील से सम्बन्धित समस्त कागजात् एकत्रित कर अजमेर स्थित अभिभाषक के कार्यालय में दिनांक 05.12.2021 को आई और उपरोक्त अपील पर सलाह कर अपील नकल प्राप्ति व जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुती में लगा समय सद्भाविक है। जिसे क्षमा कर अपील का निर्णय मेरिट पर किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 44/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 268 रकबा 2–15–00 व खसरा नम्बर 261 रकबा 2–13–00 क्रय किया था, जिसका अमल दरामद राजस्व अभिलेख में हो चुका है एवं रिकार्ड अनुसार मौके पर बंटवारा कर दिया जावे तो जवाबकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार खसरा नम्बर 321 व 321/1304 की अपीलांट 43/106 हिस्से की खातेदार/काश्तकार होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट का हक व हिस्सा ही विलोपित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नक्श ट्रेस में भी अपीलांट के हक व हिस्से को दर्शाया नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार/अपीलांट का हिस्सा ही अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में त्रुटि कारित की गई है।

अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11 की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने बाबत प्रस्तुत किया गया है, परंतु उक्त अपील का निस्तारण न्यायालय हाजा द्वारा गुणावगुण पर किए जाने से रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2019 में विधिक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 44/2019 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2019 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर सभी पक्षकारों का हिस्सा बंटवारा प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस में राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज करे। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर